न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 12/2022

मैमूना पत्नि साहब खाँ जाति मेव निवासी ग्राम हैवतका तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थीया

दिनांक :–28/03/2022

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 114/0.73 हाल खसरा नम्बर 122/0.73 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में स्थित है । आराजी मुत0 प्रार्थीया की एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जिसे प्रार्थीया द्वारा सन् 2009 में खरीद किया था और खरीद के बाद से ही प्रार्थीया निरन्तर रूप से आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण ग्राम पंचायत गोपालगढ द्वारा दिनांक 22/06/2009 को सर्व सम्मति से स्वीकार कर दर्ज रिकॉर्ड किया गया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 2312 है। जिसका उल्लेख जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 में दर्ज है।लेकिन सही तरीके से रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया गया और मौका व कब्जा की ही जानकारी नहीं की गई। बिना रिकॉर्ड अवलोकन व मौका कब्जा की जाँच किये भूलवश आराजी मुत0 पर प्रार्थीया के नाम के स्थान पर लालाराम, बलराम, धनश्याम, पिसरान सोनीराम ,सूरजमल पुत्र छुट्टन व सोमोती पत्नि सम्पत का नाम खातेदार के रूप में दर्ज कर लिया। जिनका प्रार्थीया की आराजी से दूर–दूर तक किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश आराजी पर किया गया गलत इन्द्राज खिलाफ कानून मौका व कब्जा है। रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का इल्म प्रार्थीया को नकल रिकॉर्ड लेने पर हुआ तो प्रार्थीया रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती बाबत अप्रार्थी के कार्यालय में उपस्थित हुई। लेकिन अप्रार्थी द्वारा इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दुरूस्ती करने से साफ मना कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी मुत0 मद नं0 2 वर्णित प्रार्थना पत्र पर रिकॉर्ड में गलत रूप से हो रहे इन्द्राज को कलमजन कराकर उसके स्थान पर प्रार्थीया को मौका व कब्जानुसार खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया तहसीलदार ने जबाब/मौका रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम गोपालगढ के आराजी खसरा नम्बर 122/0.73 धनश्याम, बलराम, लालाराम, पिसरान सोनीराम हिस्सा 1/3, सूरजमल पुत्र छुट्टन हिस्सा 1/3 , सोमोती पत्नि सम्पत हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि इन्तकाल नम्बर 1072 बयनामा से लालाराम, धनश्याम,बलराम पिसरान सोनीराम हिस्सा 1/3 , सूरजमल पुत्र छुट्टन हिस्सा 1/3 , सोमोती बेवा सम्पत हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण के स्थान भगवान दास पुत्र मनोहर लाल जाति वैश्य साकिन कामाँ के नाम दर्ज हुआ। इन्तकाल नम्बर 2252 दिनांक 05/09/2008 बयनामा से भगवान दास के स्थान पर दर्शना पत्नि सूरजकिशन कौम जाट साकिन सुखराली तहसील जिला गुडगांवा के नाम दर्ज हुआ । इन्तकाल नम्बर 2322 दिनांक 22/06/2009 वयनामा से दर्शना पत्नि सूरज किशन के स्थान पर मैमूना पत्नि साहब खाँ जाति मेव साकिन हैवतका के नाम दर्ज हुआ। वक्त सैटलमेन्ट की जमाबन्दी सम्वत 2074–74 में तीनो इन्तकाल नम्बरों का अमल नहीं आया। मुताबिक दाखिल खारिज नम्बर 1072, 2252, 2312 के अनुसार शुद्धि किया जाना उचित होगा।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया।

हमने बहस वकील प्रार्थीया का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 122/0.73 के मुताबिक रिकॉर्ड पूर्व में धनश्याम, बलराम, लालाराम, पिसरान सोनीराम, सूरजमल पुत्र छुट्टन एवं सोमोती बेबा सम्पत खातेदार थे। जिनके द्वारा भूमि का बेचान भगवान दास को किया गया। तत्पश्चात भगवान दास द्वारा भूमि का बेचान दर्शना पत्नि सूरजकिशन को किया गया। एवं दर्शना पत्नि सूरजकिशन द्वारा भूमि का बेचान प्रार्थीया मैमूना पत्नि साहब खाँ को किया गया। जिनके कमशः नामान्तरण 1072, 2252 एवं 2312 खोले गये। परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा जमाबन्दी संवत् 2074 तैयार करते समय इनका अमल नहीं लाया गया है। जिसके कारण आज भी राजस्व रिकॉर्ड में मूल खातेदार के नाम इन्द्राज है। इस तथ्य पर अप्रार्थी तहसीलदार पहाड़ी द्वारा भी सहमति प्रकट की गई है। उपरोक्त विवेचन से

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा रिकॉर्ड कायम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 122 पर धनश्याम, बलराम, लालाराम, पिसरान सोनीराम, सूरजमल पुत्र छुट्टन एवं सोमोती बेबा सम्पत के नाम कलमजन कर प्रार्थीयां के नाम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 22.03.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)